पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)देव०–13 / 2009 :–

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

श्री जयप्रकाश मांझी, तदेन कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज के विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 5025 दिनांक– 15.09.2012 के द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम–55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी :–

(i) स्थल लेखा एवं दैनिक प्रतिवेदन तथा मापी पुस्त में अंकित बोल्डर एवं क्रेट की मात्रा में भिन्नता पाया जाना।

(क) नारायणपुर :– स्थल लेखा में 20449.95m^3 पत्थर, दैनिक प्रतिवेदन में 20375.95m^3 तथा मापी पुस्त में 20672.37m^3 पत्थर की मात्रा प्रतिवेदित है। इसी प्रकार स्थल लेखा में 7561 क्रेट मापीपुस्त में 7721 क्रेट अंकित है। जिससे 122.42m^3 पत्थर एवं 160 क्रेट का अंतर परिलक्षित होता है।

(ख) सरकण्डा :– स्थल लेखा में 13321.52m^3 दैनिक प्रतिवेदन में 12827.21m^3 एवं मापी पुस्त में 12759.79 m^3 पत्थर की मात्रा अंकित की गई है। मापीपुस्तिका में 4783 क्रेट, श्रमपुस्त के अनुसार 4767 क्रेट दैनिक प्रतिवेदन में 4927 क्रेट अंकित है जो स्पष्टतः भारी अनियमितता को परिलक्षित करता है।

(ii) बोल्डर आपूर्तिकर्त्ता के नाम से आयकर / बिक्रीकर नहीं जमा कर कार्यपालक अभियंता के पदनाम से जमा कराया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है।

(iii) राजस्व की राशि को रोकड़ बही के प्राप्ति भाग में न दर्शाकर व्यय के रूप में प्रतिवेदित किया गया है।

(iv) बोल्डर की आपूर्त्ति कुल 12574m^3 पत्थर की मात्रा का सत्यापन प्रमाण पत्र उपलब्ध है। चालान के अनुसार मात्रा 14328.23m^3 की आपूर्त्ति ली गई है। शेष 19103.934m^3 पत्थर की तथाकथित आपूर्त्ति नियमों को ताक पर रखते हुए विभिन्न संवेदकों से ली गयी है। बोल्डर आपूर्त्ति हेतु खदान स्थल से कार्यस्थल तक लीड सत्यापन नहीं हुआ है।

(v) प्राक्कलन में किये गये प्रावधान के विरूद्ध जमशेदपुर के बदले जामताड़ा से तार क्रेट की आपूर्त्ति प्राप्त करना।

(vi) गुण–नियंत्रण प्रतिवेदन घटनोत्तर प्राप्त किये गये जो नियमानुकूल नहीं है।

(vii) वित्तीय अधिकार से बाहर जाकर आपूर्त्ति मद में भुगतान किया जाना।

(viii) बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में प्रयुक्त बोल्डर की गणना गोताखोर से नहीं कराना।

(ix) प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के साथ श्रमबल की स्वीकृति भी आवश्यक है, जो सक्षम पदाधिकारी से नहीं ली गयी है।

(x) उच्चस्तरीय तकनीकी जॉंच समिति द्वारा खदान से चालान द्वारा प्राप्त बोल्डर की मात्रा को छोड़कर अन्य अनियमित तरीके से तथाकथित 19103.93m^3 बोल्डर एवं तदनुसार 2.531m^3 बोल्डर एवं प्रति क्रेट भरने की दर से कुल 7548 क्रेट के लिए किया गया भुगतान अधिकाई भुगतान है। बोल्डर की अधिकाई मात्रा 19103.934m^3 को रू० 457.94 प्रति घन की (ढुलाई सहित) की दर से रू० 87,48,455.00 तथा क्रेट की अधिकाई मात्रा 7548 क्रेट को रू० 1395 प्रति क्रेट की दर से रू० 1,05,29,460 कुल रू० 1,92,77,915.00 की अधिकाई भुगतान हुआ है। इस प्रकार 192.78 लाख (लगभग) की सामग्री पर समानुपातिक रूप से लगभग रू० 25 लाख श्रमिक का भुगतान होता है। इस प्रकार कुल 217.78 लाख (लगभग) के अधिकाई भुगतान कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाई गई।

2. संचालन पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन में मंतव्य दिया है कि श्री मांझी द्वारा सरकंडा एवं नारायणपुर कार्य स्थल पर कुल $17381.54m^3$ बोल्डर की आपूर्त्ति ली गई इसमें $13973.59m^3$ बोल्डर का सत्यापन किया गया। शेष $2784.20m^3$ बोल्डर का रॉयल्टी दुगुने दर से काटा गया है और $623.75m^3$ बोल्डर का रॉयल्टी जमा नहीं किया गया है तथा चालान भी सत्यापित नहीं है। लीड का सत्यापन नहीं कराया गया है। क्रेट की आपूर्त्ति जमशेदपुर के स्थान पर गोड्डा अवस्थित फर्म से लिया गया है इस तरह अनियमितता परिलक्षित होता है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री जय प्रकाश मांझी, तत्कालीन कनीय अभियंता को उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड प्रस्तावित करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी :–

(क) तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक

(ख) तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक

4. श्री मांझी, तत्कालीन कनीय अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक् समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री मांझी द्वारा समर्पित अपने कारण पृच्छा में कहा है कि $14404m^3$ रॉयल्टी का सत्यापन खनन विभाग द्वारा किया गया है साथ ही प्रमण्डल द्वारा दुगुना दर पर कटौती की मात्रा $2784.20m^3$ है शेष $203m^3$ का चालान प्रमण्डल में जमा किया गया है, जिसका सत्यापन नहीं हुआ है। लीड का सत्यापन अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है।

5. श्री मांझी द्वारा प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि कुल आपूर्त्ति की गयी बोल्डर की मात्रा $17381.54m^3$ में $14404m^3$ बोल्डर के रॉयल्टी का सत्यापन खनन विभाग द्वारा किया गया, $2784.20m^3$ का दुगुने दर पर कटौती की गयी, शेष $203m^3$ का चालान प्रमण्डल में जमा किया गया है जिसका सत्यापन के जवाबदेही प्रमण्डल स्तर की है। लीड का सत्यापन अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाना था। चालान सत्यापन हेतु इन्हें सजग रहना चाहिए था।

अतः श्री जय प्रकाश मांझी, तत्कालीन कनीय अभियंता के द्वितीय कारण पृच्छा को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड अधिरस्थापित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है :–

(क) दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 577 राँची/दिनांक 31-01-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव(प्र0), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3, जल संसाधन विभाग, राँची/श्री जय प्रकाश मांझी, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, साहेबगंज/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinay 31/01/2017
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S (N) _Dev_13_2009 (JayPrakash Manjhi).docx 2